(6)

संख्याः 194 /XXIII/2011/26/2010

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2011।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि निवर्तन में रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 366/आठ–लेखा/बजट आगणन–350/2010–11 दिनांक 16 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग में वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–08 के अन्तर्गत आबकारी मुख्यालय हेतु **03–अधिष्ठान** के अन्तर्गत मानक मद 15–गाड़ी अनुरक्षण मद में ₹ 2,50,000/– (₹ दो लाख पचास हजार मात्र) संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार उपलब्ध बचतों से व्यावर्तित कर व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग उस निमित्त किया जाये जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है तथा व्यय उसी मद में किया जाय, जिसमें यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–08 लेखाशीर्षक–2039–राज्य उत्पादन शुल्क, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 00, 03–अधिष्ठान के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार सुसंगत इकाईयों के नाम में डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अर्द्धशासकीय संख्याः–850 NP/XXVII(5)/2010–11 दिनॉकः 28.03.2011 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 रणबीर सिंह
प्रमुख सचिव

संख्याः 194(1)/XXIII/2011/26/2010 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0 पी0 तिवारी)
उप सचिव

Budget

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग वर्ष 2010–11(आयोजनेत्तर)

आबकारी विभाग

धनराशि हजार रूपये मे

अनुदान संख्या 08

नियन्त्रक अधिकारीः–आबकारी आयुक्त

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा धनराशि		पुनर्विनियोग के पश्चात स्तम्भ 5 (जिसमें धनराशि की कुल आवयकता) की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के पश्चात स्तम्भ 1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5		6	7	8
2039–राज्य उत्पाद शुल्क 001–निदेशन तथा प्रशासन 00– 03–अधिष्ठान					2039–राज्य उत्पाद शुल्क 001–निदेशन तथा प्रशासन 00– 03–अधिष्ठान				
18–प्रकाशन	50	20	5	25	15–गाडी अनुरक्षण पेट्रोल खरीद	25		25	
23–गुप्त सेवा व्यय	220	60	-	160		160		60	
29–अनुरक्षण	250	29	156	65		65	1000	185	
				250		**250**	**1000**		

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल प्रस्तर 150–56 में उल्लिखित प्राविधान एवं सीमाओं का उल्लघन नही होता है।

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग
सं0/850/NP/वित्त अनुभाग–5 /2010
देहरादून दिनांक 28-3-2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत

( )
अपर सचिव वित्त

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तराखण्ड ओबराय भवन,
देहरादून।